भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1186
(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकलापों का ब्यौरा तैयार करना

1186. श्री मणि शंकर अय्यर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों, निधि तथा वित्त के अंतरण के लिए कार्यकलापों का ब्यौरा (एक्टिविटी मैप) तैयार कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा समाविष्ट किए जाने वाले और समाविष्ट न किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) पहले वर्ग की योजनाओं तथा अनुवर्ती योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का ब्यौरा पूर्ण करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या समय–सीमा (सीमाएं) तय की गई हैं/है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग) : ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत पंचायतों को इन योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। मनरेगा तथा आईएवाई के एक्टिविटी मैप तैयार कर लिए गए हैं। एनआरएलएम के लिए एक्टिविटी मैप के 31 दिसंबर, 2013 तक तैयार होने की संभावना है। इस संबंध में संघ/राज्य क्षेत्रों से भी परामर्श करने की आवश्यकता है।

*****